प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 25-08-2026

विषयः- उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2026 अन्तर्गत स्टार्टअप इकाईयों को प्रोत्साहन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-763/78-1-2026-45/2026 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

2- उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2026 के अन्तर्गत स्टार्टअप इकाईयों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्राविधानित किये गये हैं। इन प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

1. समाान्य नियम एवं शर्तें:-

1.1. उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2026, अधिसूचना की तिथि से पाँच (5) वर्षों के लिए वैध है तथा पिछली स्टार्टअप नीतियाँ अर्थात् 'उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2016', 'उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017-2022' स्टार्टअप भाग से सम्बन्धित धाराओं को अवक्रमित करती है। एवं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पालिसी 2020 (प्रथम संशोधन 2022) को भी अवक्रमित करती है:-

1.1.1. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 के प्रस्तर 10 के अंतर्गत अभिनव विचार/अवधारणा पर आधारित तथा प्रदेश में निगमित स्टार्टअप इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। ऐसे स्टार्टअप का स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। स्टार्टअप की पात्रता का निर्धारण नीति के प्रस्तर 10.1 में वर्णित प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं, यथा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 127(ई) दिनांक 19 फरवरी, 2019, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 108(ई) दिनांक 04 फरवरी, 2026 तथा उनके स्थान पर जारी अथवा तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार किया जायेगा। उक्त प्रावधानों के अनुसार जिस संस्था को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त होगी, वही इस नीति के अंतर्गत स्टार्टअप मानी जायेगी।

1.2. जुटाई गयी राशि पर समतुल्य अनुदान (Matching Grant on fund raised) को छोड़कर नीति के अंतर्गत उपलब्ध समस्त वित्तीय प्रोत्साहन केवल ऐसे स्टार्टअप्स को देय होंगे जिनका पंजीकरण अथवा पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हो। जुटाई गयी राशि पर समतुल्य अनुदान (Matching Grant on fund raised) के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के बाहर पंजीकृत स्टार्टअप्स भी पात्र होंगे, बशर्ते कि उनकी उत्पादन इकाई, सेवा सुविधा अथवा परिचालन इकाई उत्तर प्रदेश में स्थापित हो तथा उनकी 50 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में संचालित होती हों। ऐसे स्टार्टअप्स निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन मैचिंग अंशदान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

1.3. उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2026 की अधिसूचना जारी होने पर, इन दिशानिर्देशों में विशेष रूप से उपबन्धित प्रकरणों को छोड़कर, उक्त नीति पूर्ववर्ती नीति का स्थान लेगी।

1.4. इस नीति के अन्तर्गत किया गया कोई भी भूतलक्षी (Retrospective) संशोधन, पूर्ववर्ती नीति के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत अधिकारों अथवा पात्रताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

1.5. स्टार्टअप प्रोत्साहन हेतु सभी आवेदन स्टार्टअप द्वारा स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किये जाएंगे।

1.6. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 की अधिसूचना की तिथि से पूर्व स्वीकृत, अनुमोदित अथवा संवितरित प्रोत्साहनों से संबंधित सभी प्रकरणों पर पूर्व की नीति के प्रावधान लागू रहेंगे तथा उनका निस्तारण उसी नीति के अंतर्गत किया जायेगा। तथापि, पूर्व में अनुमोदित प्रोत्साहनों का पूर्ण संवितरण/निस्तारण हो जाने के उपरान्त, यदि स्टार्टअप द्वारा किसी नवीन प्रोत्साहन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे आवेदन पर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 के प्रावधानों, पात्रता मानदण्डों एवं शर्तों के अनुसार विचार किया जायेगा तथा स्टार्टअप उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

1.7. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति - 2020 (प्रथम संशोधन-2022) के अंतर्गत ऐसे समस्त आवेदन, जो मूल्यांकनाधीन हैं तथा नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के अनुमोदन हेतु लंबित हैं, उनके आवेदकों को एकमुश्त विकल्प (One-Time Option) प्रदान किया जाएगा कि वे इस नीति की अधिसूचना की तिथि से तीन माह के भीतर या तो उक्त नीति के प्रावधानों के अंतर्गत अपने प्रकरण पर विचार जारी रखने का विकल्प चुनें अथवा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के प्रावधानों के अंतर्गत विचारार्थ आवेदन प्रस्तुत करें। उक्त विकल्प का आवेदन स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) की संस्तुति के आधार पर नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा विचारित किया जाएगा। इस संबंध में नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1.8. स्टार्टअप्स द्वारा अनुवर्ती किश्तों के संवितरण हेतु पूर्व में प्राप्त किश्त के सदुपयोग के सम्बन्ध में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (CA) द्वारा प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर / नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। स्टार्टअप द्वारा निधियों के उपयोग तथा पूर्ववर्ती वित्तपोषण अवधि के दौरान प्राप्त की गयी उपलब्धियों एवं

माइलस्टोन (यथाप्रयोज्य) के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों सहित प्रगति आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी।

1.9. आवेदन की तिथि पर तथा अनुवर्ती किश्तों हेतु आवेदन करते समय भी स्टार्टअप का सक्रिय / परिचालनरत होना आवश्यक होगा।

1.10. जहाँ SRCE द्वारा किसी आवेदन को संशोधन हेतु वापस किया जायेगा, वहाँ आवश्यक संशोधनों, टिप्पणियों अथवा कमियों को उनके विस्तृत औचित्य सहित अवगत कराया जायेगा, ताकि आवेदक आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कर सके।

1.11. स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा अनुमन्य पाये गये प्रोत्साहन आवेदनों से संबंधित प्रकरण को नोडल संस्था द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

1.12. नीति क्रियान्वयन इकाई (PIU) से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृत किश्त अथवा वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

1.13. नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित व्यय, यथा भरण-पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप विकास अनुदान, पेटेन्ट फाइलिंग प्रतिपूर्ति तथा आयोजनों में प्रतिभागिता सहायता आदि, AKTU कॉर्पस फण्ड से वहन किये जायेंगे। सीड कैपिटल सहायता से सम्बन्धित व्यय प्रारम्भिक रूप से AKTU कॉर्पस फण्ड से किया जा सकेगा तथा तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी बजटीय धनराशि से उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी।

1.14. नकद लेन-देन केवल रू0 10,000 तक की सीमा में अनुमन्य होगा, जिसके लिए वैध अभिलेख, भुगतान का साक्ष्य तथा नोडल संस्था द्वारा अपेक्षित अन्य विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

1.15. स्टार्टअप द्वारा चालान, बिल, वाउचर, भौतिक सत्यापन आख्या तथा अन्य व्यवसायिक अभिलेखों सहित समुचित एवं शुद्ध लेखा-पुस्तकों का संधारण एवं संरक्षण लागू विधियों तथा नीति के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। ऐसे सभी अभिलेख एवं दस्तावेज संबंधित प्राधिकरणों, इन्क्यूबेटर, नोडल संस्था अथवा किसी अन्य नामित निकाय द्वारा निरीक्षण, सत्यापन अथवा लेखा परीक्षण के लिए आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

1.16. नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, स्केलिंग चरण में कार्यरत अथवा स्केलिंग चरण से आगे प्रगति कर चुके स्टार्टअप्स को किसी मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर में इन्क्यूबेशन प्राप्त करने तथा इन्क्यूबेटर की संस्तुति प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाएगी।

1.17. नोडल संस्था द्वारा नीति के अन्तर्गत समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के अंतर्गत स्टार्टअप्स हेतु प्रोत्साहन

2.1. भरण-पोषण भत्ता (Sustenance Allowance):-

2.1.1. स्टार्टअप्स को परिकल्पना स्तर पर, प्रति स्टार्टअप रू0 20,000/- प्रति माह की दर से भरण-पोषण भत्ता 2 वर्ष तक प्रदान किया जायेगा।

2.1.2. भरण-पोषण भत्ता की आवेदन तिथि पर तथा अनुवर्ती किश्तों के लिए आवेदन करते समय भी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर के साथ परिचालनरत एवं इन्क्यूबेटेड होना चाहिए। इन्क्यूबेटर द्वारा स्टार्टअप का मूल्यांकन किये जाने के उपरान्त उपयुक्त आवेदनों की संस्तुति नोडल संस्था को की जायेगी।

2.1.3. नोडल संस्था में प्राप्त प्रोत्साहन आवेदनों को नोडल संस्था द्वारा सम्यक परीक्षण (Due Diligence) के उपरान्त प्रकरण नीति के अन्तर्गत गठित स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जहाँ स्टार्टअप्स द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा।

2.1.4. प्रोत्साहन आवेदनों के मूल्यांकन उपरान्त, स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन हेतु मामले की संस्तुति की जा सकती है, अथवा उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

2.1.5. स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा "असंस्तुत (Not Recommended)" श्रेणी में वर्गीकृत आवेदन अस्वीकृत माने जायेंगे तथा ऐसे आवेदनों को उसी प्रस्ताव अथवा उसी विचार के आधार पर पुनर्विचार हेतु पुनः प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, अस्वीकृति की तिथि से तीन (03) माह की शीतावधि (Cooling-off Period) पूर्ण होने के उपरान्त स्टार्टअप द्वारा किसी नवीन विचार अथवा नवीन प्रस्ताव के आधार पर पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

2.1.6. स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा संशोधन हेतु प्रत्यावर्तित (Sent Back for Modifications) श्रेणी के आवेदन, इन्क्यूबेटर की संस्तुति के उपरान्त आवश्यक संशोधन/अतिरिक्त दस्तावेजों को सम्मिलित करते हुए, तीन (03) माह की अवधि के भीतर पुनः प्रस्तुत किये जा सकेंगे। ऐसे पुनः प्रस्तुत आवेदनों का मूल्यांकन पुनः SRCE द्वारा किया जायेगा।

2.1.7. यदि किसी प्रोत्साहन आवेदन को स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा दूसरी बार भी अनुशंसित नहीं किया जाता है अथवा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उक्त आवेदन को अस्वीकृत माना जाएगा एवं नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा उसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

2.1.8. नीति कार्यान्वयन इकाई से अनुमोदन के उपरान्त प्रति माह रू0 20,000/- का भरण-पोषण भत्ता, अग्रिम रूप से नोडल संस्था द्वारा स्टार्टअप्स को 2 वर्ष के लिए त्रैमासिक आधार पर संवितरित किया जायेगा। नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा भरण-पोषण भत्ते के अनुमोदन के उपरान्त, स्वीकृत भरण-पोषण भत्ते की अनुवर्ती किश्तों का संवितरण एक वर्ष की अवधि तक किया जायेगा। प्रत्येक अनुवर्ती किश्त के संवितरण हेतु स्टार्टअप द्वारा पूर्व में प्राप्त किश्त का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा अद्यतन प्रगति आख्या संबंधित इन्क्यूबेटर को प्रस्तुत की जायेगी। इन्क्यूबेटर की संस्तुति एवं नोडल संस्था द्वारा सम्यक परीक्षण (Due Diligence) के उपरान्त प्रकरण अनुमन्य पाये जाने पर संबंधित अनुवर्ती किश्त का संवितरण सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में किया जायेगा। ऐसे मामलों का विवरण तथा स्टार्टअप की प्रगति आख्या नीति कार्यान्वयन इकाई

(PIU) के संज्ञानार्थ उसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

2.1.9. दो (2) वर्ष की अवधि के उपरान्त स्टार्टअप के अवधारणा गतिविधि (ideation activity) के पूर्ण होने की सूचना सम्बन्धित इन्क्यूबेटर द्वारा नोडल संस्था को दी जायेगी। 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात स्टार्टअप द्वारा सी. ए. प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, जिसे इन्क्यूबेटर द्वारा नोडल संस्था को अग्रसारित किया जायेगा।

2.1.10. एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भरण-पोषण भत्ते की शेष/आगामी किश्तों के संवितरण हेतु प्रकरण पुनः स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) के समक्ष मूल्यांकन एवं संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। SRCE की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। PIU द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त अनुमन्य किश्तों का संवितरण नियमानुसार सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में किया जायेगा।

2.1.11. भरण-पोषण भत्ते की प्रथम दो किश्तों के सफलतापूर्वक संवितरण के उपरान्त, स्टार्टअप भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करते हुए भी प्रोटोटाइप अनुदान हेतु आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते कि स्टार्टअप द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं प्रगति आख्या प्रस्तुत की गयी हो तथा सम्बन्धित मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर द्वारा स्टार्टअप के सतत संचालन की पुष्टि की गयी हो।

2.2. **प्रोटोटाइप अनुदान (Prototype Grant):-**

2.2.1. नीति के अंतर्गत पंजीकृत स्टार्टअप्स को प्रति स्टार्टअप रू0 10 लाख तक का प्रोटोटाइप अनुदान प्रदान किया जायेगा। प्रस्तर-3.4 स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के अंतर्गत उल्लेखित प्रावधान 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान की व्यवस्था इस अनुदान हेतु लागू होगी।

2.2.2. प्रोटोटाइप अनुदान की आवेदन तिथि पर तथा अनुवर्ती किश्तों के लिए आवेदन करते समय भी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर के साथ परिचालनरत एवं इन्क्यूबेटेड होना चाहिए। इन्क्यूबेटर द्वारा स्टार्टअप का मूल्यांकन किये जाने के उपरान्त उपयुक्त आवेदनों की संस्तुति नोडल संस्था को की जायेगी।

2.2.3. प्रोटोटाइप अनुदान का उपयोग नवाचार आधारित प्रोटोटाइप, तकनीकी उत्पादों एवं समाधानों के विकास, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण हेतु किया जा सकेगा। इस सहायता के अंतर्गत संबंधी व्ययों की आवश्यकता, औचित्य एवं अनुमन्यता का मूल्यांकन स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा किया जाएगा।

2.2.4. इस अनुदान हेतु आवेदन में, स्टार्टअप पोर्टल पर दिये गये प्रारूप के अनुसार लागतों का विस्तृत विवरण तथा सम्मिलित लागतों का औचित्य सम्मिलित होना चाहिए। अनुमानित लागत का विधिवत परीक्षण सम्बन्धित

इन्क्यूबेटर द्वारा करने के उपरांत नोडल संस्था को अग्रसारित किया जाएगा।

2.2.5. नोडल संस्था में प्राप्त प्रोत्साहन आवेदनों को नोडल संस्था द्वारा सम्यक परीक्षण (Due Diligence) के उपरान्त प्रकरण नीति के अन्तर्गत गठित स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जहाँ स्टार्टअप्स द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा।

2.2.6. प्रोत्साहन आवेदनों के मूल्यांकन उपरान्त, स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन हेतु मामले की संस्तुति की जा सकती है, अथवा उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

2.2.7. स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा "असंस्तुत (Not Recommended)" श्रेणी में वर्गीकृत आवेदन अस्वीकृत माने जायेंगे तथा ऐसे आवेदनों को उसी प्रस्ताव अथवा उसी विचार के आधार पर पुनर्विचार हेतु पुनः प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, अस्वीकृति की तिथि से तीन (03) माह की शीतावधि (Cooling-off Period) पूर्ण होने के उपरान्त स्टार्टअप द्वारा किसी नवीन विचार अथवा नवीन प्रस्ताव के आधार पर पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

2.2.8. स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा संशोधन हेतु प्रत्यावर्तित (Sent Back for Modifications) श्रेणी के आवेदन, इन्क्यूबेटर की संस्तुति के उपरान्त आवश्यक संशोधन/अतिरिक्त दस्तावेजों को सम्मिलित करते हुए, तीन (03) माह की अवधि के भीतर पुनः प्रस्तुत किये जा सकेंगे। ऐसे पुनः प्रस्तुत आवेदनों का मूल्यांकन पुनः SRCE द्वारा किया जायेगा।

2.2.9. यदि किसी प्रोत्साहन आवेदन को स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा दूसरी बार भी अनुशंसित नहीं किया जाता है अथवा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उक्त आवेदन को अस्वीकृत माना जाएगा एवं नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा उसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

2.2.10. स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा संस्तुत स्टार्टअप विचारों/अवधारणाओं को नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2.11. नीति कार्यान्वयन इकाई से अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि नोडल संस्था द्वारा दो किश्तों में जिसमे प्रथम किश्त 70% अग्रिम रूप में एवं शेष 30% किश्त प्रतिपूर्ति के रूप में अवमुक्त की जायेगी।

2.2.12. प्रोटोटाइप अनुदान की शेष 30 प्रतिशत धनराशि प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के आधार पर देय होगी। उक्त किश्त के संवितरण हेतु स्टार्टअप द्वारा विकसित प्रोटोटाइप का विवरण युक्त प्रगति आख्या, पूर्व में प्राप्त किश्त के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा अनुमोदित प्रोटोटाइप अनुदान की शेष 30 प्रतिशत राशि के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण सहित आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2.13. इन्क्यूबेटर की संस्तुति तथा नोडल संस्था द्वारा सम्यक परीक्षण (Due Diligence) के उपरान्त आवेदन का मूल्यांकन एवं संस्तुति हेतु स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2.14. स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा संस्तुत स्टार्टअप विचारों/अवधारणाओं को नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2.15. भरण-पोषण भत्ते की प्रथम दो किश्तों के सफलतापूर्वक संवितरण के उपरान्त, स्टार्टअप भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करते हुए भी प्रोटोटाइप अनुदान हेतु आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते कि स्टार्टअप द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं प्रगति आख्या प्रस्तुत की गयी हो तथा सम्बन्धित मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर द्वारा स्टार्टअप के सतत संचालन की पुष्टि की गयी हो।

2.3. सीड कैपिटल (Seed Capital):-

2.3.1. स्टार्टअप्स को उनके न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (MVP) को बाजार में आरम्भ करने के लिए प्रति स्टार्टअप रू0 15 लाख तक की सीड कैपिटल के रूप में प्रदान की जायेगी। प्रस्तर-3.4 स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के अंतर्गत उल्लेखित प्रावधान 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान की व्यवस्था इस अनुदान हेतु लागू होगी।

2.3.2. यह वित्तीय सहायता स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप परिष्करण, उत्पाद अथवा प्रक्रिया विकास, बाजार अनुसंधान, परीक्षण एवं ट्रायल तथा न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (Minimum Viable Product-MVP) के बाजार में लॉन्च हेतु विपणन एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों के लिए प्रदान की जायेगी। यह सहायता पात्र कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, व्यावसायिक सेवाओं, उपकरणों तथा औजारों की खरीद हेतु भी अनुमन्य होगी।

2.3.3. नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर की संस्तुति के बिना भी ऐसे स्टार्टअप्स जो की प्रस्तर 2. समान्य नियम एवं शर्तें के अंतर्गत उल्लेखित 2.15 के अंतर्गत दिशानिर्देश को पूर्ण करते हैं, के द्वारा स्टार्टअप पोर्टल पर सीधे आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिन्होंने राजस्व अर्जन प्रारम्भ कर दिया हो, जो विस्तार (Scaling) के चरण में हों अथवा बड़े स्तर की पायलट परियोजना की स्थापना/क्रियान्वयन कर रहे हों।

2.3.4. स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित परियोजना में नवाचार, विस्तारयोग्यता (Scalability) तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता (Commercial Viability) का स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना अनिवार्य होगा।

2.3.5. इस अनुदान हेतु आवेदन में स्टार्टअप पोर्टल पर दिये गये प्रारूप के अनुसार लागत का विस्तृत विवरण तथा सम्मिलित लागतों के पीछे उनका औचित्य दिया जाना चाहिए।

2.3.6. यदि उक्त प्रोत्साहन हेतु आवेदन करने वाला स्टार्टअप किसी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इन्क्यूबेटेड है, तो उसका आवेदन संबंधित इनक्यूबेटर की पुष्टि एवं संस्तुति के उपरान्त नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।

2.3.7. यदि उक्त प्रोत्साहन हेतु आवेदन करने वाला स्टार्टअप किसी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इन्क्यूबेटेड नहीं है, तो वह स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों एवं अपेक्षित सूचनाओं सहित अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन में उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारियों एवं संलग्न दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में स्टार्टअप द्वारा पोर्टल पर स्व-घोषणा (Self-Declaration) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.3.8. नोडल संस्था में प्राप्त प्रोत्साहन आवेदनों को नीति के अन्तर्गत गठित स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जहाँ स्टार्टअप्स द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा।

2.3.9. प्रोत्साहन आवेदनों के मूल्यांकन उपरान्त, स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा नीति क्रियान्वयन इकाई के अनुमोदन हेतु मामले की संस्तुति की जा सकती है, अथवा उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

2.3.10. स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा असंस्तुत (Not Recommended) श्रेणी में वर्गीकृत आवेदन अस्वीकृत माने जायेंगे तथा ऐसे आवेदनों को उसी प्रस्ताव अथवा उसी विचार के आधार पर पुनर्विचार हेतु पुनः प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, अस्वीकृति की तिथि से तीन (03) माह की शीतावधि (Cooling-off Period) पूर्ण होने के उपरान्त स्टार्टअप द्वारा किसी नवीन विचार अथवा नवीन प्रस्ताव के आधार पर पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

2.3.11. स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा संशोधन हेतु प्रत्यावर्तित (Sent Back for Modifications) श्रेणी के आवेदन, इन्क्यूबेटर की संस्तुति/स्टार्टअप के सेल्फ डिक्लेरेशन के उपरान्त (यथाप्रयोज्य) आवश्यक संशोधन/अतिरिक्त दस्तावेजों को सम्मिलित करते हुए, तीन (03) माह की अवधि के भीतर पुनः प्रस्तुत किये जा सकेंगे। ऐसे पुनः प्रस्तुत आवेदनों का मूल्यांकन पुनः SRCE द्वारा किया जायेगा।

2.3.12. यदि किसी प्रोत्साहन आवेदन को स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा दूसरी बार भी अनुशंसित नहीं किया जाता है अथवा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उक्त आवेदन को अस्वीकृत माना जाएगा एवं नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा उसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

2.3.13. स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा संस्तुत स्टार्टअप प्रोत्साहन से सम्बन्धित प्रकरण, नोडल संस्था द्वारा अनुमोदन के लिए नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

2.3.14. सीड कैपिटल सहायता हेतु आवेदन के समय, उक्त सहायता की द्वितीय

किश्त के संवितरण हेतु माइलस्टोन की वचनबद्धता भी स्टार्टअप पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन द्वारा संलग्न की जायेगी। सभी विवरणों का परीक्षण सम्बद्ध इनक्यूबेटर (स्टार्टअप मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इनक्यूबेटेड होने की दशा में) अथवा नोडल संस्था (स्टार्टअप मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इनक्यूबेटेड नहीं होने की दशा में) द्वारा किया जायेगा और उपयुक्त स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। SRCE द्वारा संस्तुति किये गये प्रस्ताव नीति कार्यान्वयन इकाई से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु नोडल संस्था द्वारा अग्रसारित किये जायेंगे। तत्पश्चात, नोडल संस्था द्वारा प्रथम किश्त (50 प्रतिशत)/द्वितीय किश्त (50 प्रतिशत) निर्गत की जायेगी। जिसमें पहली किश्त अग्रिम अनुदान के रूप में नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन के पश्चात तथा शेष किश्त का संवितरण माइलस्टोन पूर्ण होने पर स्टार्टअप रिव्यु कमेटी ऑफ़ एक्सपर्ट्स (SRCE) की संस्तुति एवं नीति कार्यान्वयन इकाई से अनुमोदन प्राप्त किये जाने पर नोडल संस्था द्वारा किया जायेगा।

2.3.15. नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन उपरान्त वित्तीय प्रोत्साहन का संवितरण सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में किया जायेगा।

2.3.16. यदि सीड कैपिटल सहायता हेतु आवेदन करने वाला स्टार्टअप किसी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इनक्यूबेटेड न हो, तो ऐसा स्टार्टअप नोडल संस्था द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र, आवश्यक अभिलेखों एवं अपेक्षित सूचनाओं सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन में उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारियों एवं संलग्न दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में स्टार्टअप द्वारा पोर्टल पर स्व-घोषणा (Self-Declaration) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.3.17. व्यवसायीकरण कार्यकलाप पूर्ण होने के पश्चात स्टार्टअप द्वारा सी. ए. द्वारा प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इनक्यूबेटर (स्टार्टअप इन्क्यूबेट होने की दशा में) अथवा नोडल संस्था (स्टार्टअप इन्क्यूबेट नहीं होने की दशा में) को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, जिसे इनक्यूबेटर द्वारा (यथाप्रयोज्य) नोडल संस्था को अग्रसारित किया जायेगा।

2.3.18. उच्च संभावनाशील (High-Potential) स्टार्टअप्स/अपवाद स्वरूप स्टार्टअप्स को 15 लाख से अधिक तथा रू0 50 लाख तक की वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर नीति के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण-दर-प्रकरण (Case-to-Case Basis) आधार पर परीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुमोदन के उपरान्त विचार किया जा सकेगा। तथापि, प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत ऐसे आवेदन पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त पात्रता का प्रावधान लागू नहीं होगा।

2.3.19. ऐसे प्रस्ताव स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) की संस्तुति एवं नीति क्रियान्वयन इकाई (PIU) द्वारा अनुमोदन उपरान्त निर्गत किया जायेगा।

2.3.20. ऐसे प्रकरणों में स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का संवितरण सामान्यतः दो किश्तों में, प्रत्येक 50 प्रतिशत की दर से, एसआरसीई द्वारा संस्तुत एवं नीति क्रियान्वयन इकाई (PIU) द्वारा अनुमोदित माइलस्टोन के आधार पर किया जायेगा अथवा नीति क्रियान्वयन इकाई (PIU) द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। प्रकरण-दर-प्रकरण (Case-to-Case Basis) श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता का प्रावधान लागू नहीं होगा।

2.3.21. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के अंतर्गत सीड कैपिटल/विपणन सहायता हेतु अनुमोदित स्टार्टअप्स को प्रथम किश्त के संवितरण के समय निर्धारित कार्य-प्रदर्शन लक्ष्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी। उक्त वचनबद्धता का मूल्यांकन स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा किया जाएगा तथा उसकी संस्तुति के आधार पर अंतिम अनुमोदन हेतु प्रकरण नीति क्रियान्वयन इकाई (PIU) को अग्रसारित किया जाएगा।

2.4. **स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन:** प्रोटोटाइप अनुदान एवं सीड कैपिटल अनुदान हेतु 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था लागू होगी। निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले स्टार्टअप्स उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे:

- महिलाओं/दिव्यांगजन/ट्रांसजेन्डर्स द्वारा 51 प्रतिशत से अधिक (न्यूनतम 51 प्रतिशत) अंशधारिता के साथ स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स अथवा पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय वाले स्टार्टअप्स अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स को अतिरिक्त 50 प्रतिशत प्रोटोटाइप अनुदान प्रदान किया जायेगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र, आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- यह 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान कृषि तकनीक/सर्कुलर इकॉनमी/ग्रामीण प्रभाव/वेस्ट मैनेजमेंट/स्थिरता/नवीकरणीय ऊर्जा/जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स पर भी लागू होगा। कोई स्टार्टअप उक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत आच्छादित है अथवा नहीं, के बारे में निर्णय नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा स्टार्टअप रिव्यु कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

2.5. **जुटाई गई धनराशि पर समतुल्य अनुदान (Matching Grant on Fund Raised):-**

2.5.1. प्रदेश में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा स्टार्टअप्स को बाह्य वित्तीय संसाधन आकर्षित करने हेतु, किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्था अथवा राष्ट्रीय मिशन से धनराशि/निवेश प्राप्त करने वाले पात्र स्टार्टअप्स को जुटाई गई धनराशि पर समतुल्य अनुदान प्रदान किया जायेगा।

2.5.2. इस सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु स्टार्टअप द्वारा न्यूनतम रू0 2 करोड़ की पात्र धनराशि/निवेश जुटाया जाना आवश्यक होगा।

2.5.3. पात्र स्टार्टअप को प्राप्त धनराशि/निवेश के 50 प्रतिशत तक समतुल्य अनुदान अनुमन्य होगा, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 5 करोड़ होगी।

2.5.4. उत्तर प्रदेश में पंजीकृत स्टार्टअप इस सहायता के लिए पात्र होंगे।

2.5.5. ऐसे स्टार्टअप, जो उत्तर प्रदेश में पंजीकृत नहीं हैं, किन्तु जिनकी उत्पादन/सेवा सुविधा अथवा परिचालन इकाई उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, वे भी इस प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

2.5.6. यह सत्यापित करने के उद्देश्य से कि स्टार्टअप की 50 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, स्टार्टअप जीएसटी रिटर्न/ऑडिटेड वित्तीय विवरण/ उत्तर प्रदेश स्थित कार्यालय एवं इकाई से संबंधित स्वामित्व अथवा किरायानामा दस्तावेज/कर्मचारी विवरण/वैधानिक पंजीकरण प्रमाणपत्र/उपयोगिता बिल के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा नोडल संस्था द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। नोडल संस्था उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त दावे का सत्यापन करेगी।

2.5.7. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित यूपी स्टार्टअप फण्ड (UPSF)/राष्ट्रीय फंड ऑफ फंड्स (FoF) के अंतर्गत पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड (AIF) द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्टार्टअप इस प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होंगे। किसी अन्य योजना, पहल अथवा कार्यक्रम के अंतर्गत पुरस्कार, इनाम अथवा उसी निवेश/धनराशि के संबंध में समतुल्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्टार्टअप इस प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होंगे।

2.5.8. आवेदन स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

2.5.9. आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाना अनिवार्य होगा: धनराशि/निवेश प्राप्त होने का प्रमाण, संबंधित संस्था/राष्ट्रीय मिशन द्वारा जारी स्वीकृति पत्र, निवेश समझौता (Investment Agreement), टर्म शीट अथवा अन्य निवेश संबंधी दस्तावेज, स्टार्टअप के बैंक खाते में धनराशि प्राप्ति का प्रमाण, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित धनराशि प्राप्ति प्रमाण-पत्र, नोडल संस्था द्वारा अपेक्षित अन्य अभिलेख एवं सूचनाएँ।

2.5.10. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण नोडल संस्था द्वारा किया जायेगा तथा पात्र पाये गये आवेदनों को मूल्यांकन हेतु स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

2.5.11. SRCE द्वारा धनराशि/निवेश की पात्रता, निवेश स्रोत, प्राप्ति के साक्ष्य तथा नीति के प्रावधानों के अनुरूपता का परीक्षण किया जायेगा।

2.5.12. SRCE द्वारा संस्तुत प्रकरणों को नोडल संस्था अपनी संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

2.5.13. नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

2.5.14. अनुमोदित समतुल्य अनुदान का संवितरण आनुपातिक आधार पर उसी फंडिंग राउंड के अनुरूप किया जायेगा, जिसके अंतर्गत स्टार्टअप को धनराशि/निवेश प्राप्त हुआ है।

2.5.15. अनुमोदित सहायता राशि सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

2.5.16. नोडल संस्था अथवा नीति कार्यान्वयन इकाई को किसी भी स्तर पर अतिरिक्त अभिलेख, सूचना अथवा स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा।

2.5.17. प्रस्तुत सूचना, अभिलेख अथवा दावा असत्य, भ्रामक अथवा तथ्य-विरुद्ध पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा वितरित सहायता राशि की वसूली प्रचलित नियमों के अनुसार की जा सकेगी।

2.6. नेटवर्किंग सहायता / आयोजन अनुदान (Networking Support/ Event Grant):-

2.6.1. स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी, व्यापार मेलों, शिखर सम्मेलनों तथा अन्य समान आयोजनों में प्रतिभागिता के माध्यम से बाजार तक पहुँच (Market Access), नेटवर्किंग अवसरों, व्यवसाय विकास तथा दृश्यता (Visibility) को बढ़ावा देने हेतु यह सहायता प्रदान की जायेगी।

2.6.2. स्टार्टअप द्वारा स्टार्टअप पोर्टल पर आवेदन कर किसी आयोजन में प्रतिभागिता से एक माह पूर्व नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) से सैद्धान्तिक अनुमोदन (In-Principle Approval) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आयोजन में सफलतापूर्वक प्रतिभागिता के उपरान्त, स्टार्टअप निर्धारित अभिलेखों सहित प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत कर सकेगा। पात्र वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति नोडल संस्था द्वारा सत्यापन तथा नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत की जायेगी।

2.6.3. पात्र स्टार्टअप द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/आयोजनों में प्रतिभागिता हेतु किये गये वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत, निम्नलिखित सीमा के अधीन, प्रतिपूर्ति के रूप में अनुमन्य होगा:-

- **राष्ट्रीय आयोजन:** प्रति आयोजन अधिकतम रू0 50,000 तक की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। नीति अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में ऐसी प्रतिपूर्ति का लाभ एक बार प्राप्त किया जा सकेगा।
- **अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन:** प्रति आयोजन अधिकतम रू0 2,00,000 तक की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। नीति अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छमाही में ऐसी प्रतिपूर्ति का लाभ एक बार प्राप्त किया जा सकेगा।

2.6.4. अनुमोदित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में स्टार्टअप के संस्थापक (Founder) अथवा सह-संस्थापक (Co-founder) अथवा दोनों द्वारा व्यक्तिगत रूप से (In-Person) प्रतिभागिता की गई हो।

2.6.5. प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाले स्टार्टअप को कार्यक्रम आयोजकों से निमंत्रण-पत्र/ पंजीकरण की पुष्टि प्राप्त होना आवश्यक है।

2.6.6. प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाला स्टार्टअप नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इनक्यूबेटेड हो सकता है अथवा स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2.6.7. यदि आयोजन प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाला स्टार्टअप किसी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इनक्यूबेटेड है, तो उसका आवेदन संबंधित इनक्यूबेटर की संस्तुति के उपरान्त नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। एवं प्रोत्साहन आवेदन की संस्तुति करने से पूर्व संबंधित इनक्यूबेटर द्वारा स्टार्टअप की वर्तमान अवस्था (Stage) का सत्यापन, संलग्न अभिलेखों की पूर्णता एवं प्रामाणिकता का परीक्षण, स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुत विवरणों का प्रमाणीकरण तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्टार्टअप अपनी व्यवसायिक अवधारणा पर सक्रिय रूप से कार्यरत है।

2.6.8. यदि आयोजन प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाला स्टार्टअप किसी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इनक्यूबेटेड नहीं है, तो वह नोडल संस्था द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों एवं अपेक्षित सूचनाओं सहित अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन में उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारियों एवं संलग्न दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में स्टार्टअप द्वारा पोर्टल पर स्व-घोषणा (Self-Declaration) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.6.9. नोडल संस्था द्वारा पात्र पाये गये आवेदनों को परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

2.6.10. मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) आवश्यकतानुसार स्टार्टअप से अतिरिक्त अभिलेख, प्रमाण-पत्र, प्रतिवेदन अथवा अन्य सहायक दस्तावेज मांग सकती है, ताकि प्रस्तुत दावों का सत्यापन एवं पात्रता का निर्धारण किया जा सके।

2.6.11. मूल्यांकन के आधार पर नीति कार्यान्वयन इकाई(PIU) द्वारा नेटवर्किंग सहायता/आयोजन अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदन को अनुमोदित अथवा अननुमोदित किया जा सकेगा।

2.6.12. अननुमोदित" (Not Approved) श्रेणी में वर्गीकृत आवेदन अस्वीकृत माने जायेंगे तथा ऐसे आवेदन उसी आयोजन के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

2.6.13. पूर्व अनुमोदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

- स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन।
- सम्मेलन/आयोजन का विवरण युक्त आयोजन पुस्तिका (Event Brochure)।
- आयोजनकर्ता द्वारा निर्गत आमंत्रण-पत्र तथा/अथवा आयोजन पंजीकरण की पुष्टि।
- प्रतिभागिता एवं वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदन/संस्तुति प्राप्त करने के उद्देश्य से सीईओ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को संबोधित, संबंधित इनक्यूबेटर द्वारा उसके लेटरहेड पर जारी अग्रेषण-पत्र तथा/ अथवा स्टार्टअप द्वारा संस्तुति-पत्र।

2.6.14. प्रतिपूर्ति दावा हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

- आयोजन में प्रतिभागिता से प्राप्त परिणामों एवं लाभों का विवरण तथा फोटोग्राफ सहित उपलब्धि प्रतिवेदन (Achievement Report)।
- प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र अथवा प्रतिभागिता के अन्य दस्तावेजी साक्ष्य, यथाप्रयोज्य।
- अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के मामले में वीजा लागत और चिकित्सा बीमा ।
- कार्यक्रम हेतु प्रतिभागिता शुल्क अथवा पंजीकरण शुल्क तथा स्टॉल शुल्क अथवा स्टॉल फर्नीचर व्यय ।
- दावा किये गये व्यय से संबंधित मूल चालान/बिल तथा पात्र व्यय के भुगतान के प्रमाण।
- यात्रा एवं आवास संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति केवल आयोजन की तिथि से एक दिन पूर्व से लेकर आयोजन की तिथि के एक दिन पश्चात तक की अवधि से संबंधित बिलों/चालानों के आधार पर ही अनुमन्य होगी ।
- यात्रा से संबंधित अभिलेख, जैसे हवाई/रेल/बस टिकट, यात्रा चालान तथा बोर्डिंग पास (हवाई यात्रा के मामले में अनिवार्य), यथाप्रयोज्य, प्रस्तुत किये जायेंगे।
- भोजन एवं पेय पदार्थों पर किये गये व्यय प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अन्य आवश्यक अभिलेख व विवरण।

2.7. स्टार्टअप्स को एक्सेलेरेटर कार्यक्रम सहायता (Accelerator programme support for Startups):-

2.7.1. प्रारंभिक चरण अथवा विस्तार (Early Traction or Scaling Stage) चरण में पात्र स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अथवा राज्य-मान्यता प्राप्त एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु प्रतिपूर्ति आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता निम्नानुसार देय होगी:

- टियर-1: राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों हेतु कार्यक्रम शुल्क का 75 प्रतिशत, प्रति कार्यक्रम अधिकतम रू0 3,00,000
- टियर-2: राज्य-मान्यता प्राप्त एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों हेतु कार्यक्रम शुल्क का 50 प्रतिशत, प्रति कार्यक्रम अधिकतम रू0 2,00,000
- टियर-3: सूचीबद्ध कार्यक्रमों हेतु कार्यक्रम शुल्क का 50 प्रतिशत, प्रति कार्यक्रम अधिकतम रू0 1,00,000

2.7.2. नीति अवधि के दौरान प्रत्येक स्टार्टअप को सभी श्रेणियों को मिलाकर अधिकतम 2 कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

2.7.3. स्टार्टअप द्वारा स्टार्टअप पोर्टल पर आवेदन कर एक्सेलेरेटर कार्यक्रम में प्रतिभाग से एक माह पूर्व नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) से सैद्धान्तिक अनुमोदन (In-Principle Approval) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एक्सेलेरेटर कार्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रतिभागिता के उपरान्त स्टार्टअप निर्धारित अभिलेखों सहित प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत कर सकेगा। पात्र वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति नोडल संस्था द्वारा सत्यापन तथा नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत की जायेगी।

2.7.4. आवेदन के साथ कार्यक्रम विवरण, कार्यक्रम शुल्क, अपेक्षित परिणाम, व्यवसाय विस्तार रणनीति तथा एक्सेलेरेशन कार्यक्रम में भागीदारी का औचित्य प्रस्तुत किया

जाएगा।

2.7.5. स्टार्टअप द्वारा आवेदन स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। यदि स्टार्टअप उ०प्र० स्टार्टअप नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी इनक्यूबेटर में इन्क्यूबेटेड है, तो आवेदन के साथ संबंधित इनक्यूबेटर की संस्तुति संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि स्टार्टअप किसी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इन्क्यूबेटेड नहीं है एवं वह प्रोटोटाइप चरण से आगे की अवस्था में है, तो वह स्टार्टअप पोर्टल पर सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

2.7.6. अनुमोदन उपरांत कार्यक्रम पूर्ण होने पर वास्तविक भुगतान किए गए कार्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसके लिए निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा- शुल्क भुगतान रसीद, कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण-पत्र, भागीदारी रिपोर्ट, कार्यक्रम से प्राप्त उपलब्धियों एवं संभावित प्रभाव का विवरण

2.7.7. प्रतिपूर्ति की धनराशि नोडल संस्था की संस्तुति पर नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

2.7.8. एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों का टियर वर्गीकरण तथा पात्र संस्थाओं की सूची स्टार्टअप पोर्टल पर समय-समय पर प्रकाशित एवं अद्यतन की जाएगी।

2.8. गुणवत् प्रमाणन प्रतिपूर्ति/पेटेंट दाखिल करने की लागत (Quality Certification Reimbursement/ Patent filing cost):-

2.8.1. स्टार्टअप्स को गुणवत्ता प्रमाणन तथा/अथवा पेटेंट फाइलिंग पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित स्लैब के आधार पर प्रदान की जाएगी:

I. ₹50 लाख तक के पात्र व्यय पर 100% प्रतिपूर्ति, बशर्ते कि स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) की संस्तुति पर नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा इसे स्वीकृति दी जाए;

II. रू0 50 लाख से अधिक एवं रू0 1 करोड़ तक के वर्धित पात्र व्यय के हिस्से पर 75% प्रतिपूर्ति;यह प्रतिपूर्ति स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) की संस्तुति पर नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) एवं कार्यकारी समिति (EC) की संस्तुति पर माननीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात प्रदान की जाएगी;

III. रू0 1 करोड़ से अधिक एवं : रू0 2 करोड़ तक के वर्धित पात्र व्यय के हिस्से पर 50% प्रतिपूर्ति; यह प्रतिपूर्ति स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE),

नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) एवं कार्यकारी समिति (EC) की संस्तुति पर माननीय मंत्रिम

2.8.2. राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से गुणवत्ता प्रमाणन (Quality Certification) अथवा पेटेंट ग्रांट होने के उपरांत ही स्टार्टअप्स इस प्रोत्साहन के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

2.8.3. प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाला स्टार्टअप नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इनक्यूबेटेड हो सकता है अथवा स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से सीधे

आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2 8 4 यदि गुणवत्ता प्रमाणन तथा/अथवा पेटेंट फाइलिंग पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाला स्टार्टअप नीति के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इनक्यूबेटेड है, तो उसका आवेदन संबंधित इनक्यूबेटर की संस्तुति के उपरान्त नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।

2.8.5. प्रोत्साहन आवेदन की संस्तुति करने से पूर्व संबंधित इनक्यूबेटर द्वारा स्टार्टअप की वर्तमान अवस्था (Stage) का सत्यापन, संलग्न अभिलेखों की पूर्णता एवं प्रामाणिकता का परीक्षण, स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुत विवरणों का प्रमाणीकरण तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्टार्टअप अपनी व्यवसायिक अवधारणा पर सक्रिय रूप से कार्यरत है।

2.8.6. यदि आयोजन प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाला स्टार्टअप नीति के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इनक्यूबेटेड नहीं है, तो वह नोडल संस्था द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों एवं अपेक्षित सूचनाओं सहित अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन में उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारियों एवं संलग्न दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में स्टार्टअप द्वारा पोर्टल पर स्व-घोषणा (Self-Declaration) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.8.7. नोडल संस्था द्वारा प्राप्त पाये गये आवेदनों का मूल्यांकन नोडल एजेन्सी के स्तर पर गठित स्टार्टअप रिव्यू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (SRCE) द्वारा किया जाएगा। नोडल संस्था द्वारा संस्तुत की गई वित्तीय सहायता के अनुमोदन के लिए नीति कार्यान्वयन इकाई (नीति क्रियान्वयन इकाई (PIU)) को प्रस्तुत किया जायेगा। नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन उपरान्त वित्तीय प्रोत्साहन का संवितरण सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में किया जायेगा।

2.8.8. मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) आवश्यकतानुसार स्टार्टअप से अतिरिक्त अभिलेख, प्रमाण-पत्र, प्रतिवेदन अथवा अन्य सहायक दस्तावेज मांग सकती है, ताकि प्रस्तुत दावों का सत्यापन एवं पात्रता का निर्धारण किया जा सके।

2.8.9. मूल्यांकन के आधार पर नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदन को अनुमोदित अथवा अननुमोदित किया जा सकेगा।

2.9. सावधि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention on the Term Loans):-

2.9.1. पात्र स्टार्टअप्स को अनुसूचित बैंकों अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सावधि ऋणों पर ब्याज उपादान (Interest Subsidy) प्रदान किया जाएगा।

2.9.2. ब्याज उपादान वास्तविक रूप से देय एवं भुगतान किये गये ब्याज अथवा 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, की दर से अनुमन्य होगा।

2.9.3. यह सहायता प्रति स्टार्टअप अधिकतम ₹2 करोड़ की संचयी सीमा तक तथा अधिकतम 03 वर्ष की अवधि के लिए, दोनों में से जो भी पहले पूर्ण हो, अनुमन्य होगी।

2.9.4. ब्याज उपादान का लाभ केवल उस अवधि हेतु अनुमन्य होगा, जिसके लिए

स्टार्टअप द्वारा वास्तविक ब्याज भुगतान किया गया हो तथा उसका विधिवत प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो।

2.9.5. कार्यशील पूंजी ऋण (Working Capital Loan), ओवरड्राफ्ट, नकद ऋण (Cash Credit) अथवा किसी अन्य गैर-सावधि ऋण पर ब्याज उपादान अनुमन्य नहीं होगा।

2.9.6. ब्याज उपादान हेतु आवेदन स्टार्टअप पोर्टल पर आवेदन के साथ ऋण स्वीकृति पत्र, ऋण वितरण विवरण, पुनर्भुगतान अनुसूची (Repayment Schedule), संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रमाणित ब्याज भुगतान विवरण तथा बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.9.7. यदि स्टार्टअप उ०प्र० स्टार्टअप नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी इनक्यूबेटर में इन्क्यूबेटेड है, तो आवेदन के साथ संबंधित इनक्यूबेटर की संस्तुति संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि स्टार्टअप किसी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इन्क्यूबेटेड नहीं है एवं स्टार्टअप प्रस्तर 2. सामान्य नियम एवं शर्तें के अंतर्गत उल्लेखित 2.17 के अंतर्गत दिशानिर्देश को पूर्ण करते हैं, तो वह स्टार्टअप पोर्टल पर सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

2.9.8. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण नोडल संस्था द्वारा किया जायेगा तथा पात्र पाये गये मामलों को अनुमोदनार्थ नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

2.9.9. स्वीकृत ब्याज उपादान का संवितरण अर्धवार्षिक आधार पर किया जायेगा। प्रत्येक दावा संबंधित अर्धवार्षिक अवधि में वास्तविक रूप से भुगतान किये गये ब्याज के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने के पश्चात किया जाएगा।

2.9.10. अनुमोदित सहायता सीधे ऋणदाता संस्था अथवा स्टार्टअप को, नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, हस्तांतरित की जा सकेगी।

2.9.11. गलत अथवा भ्रामक जानकारी पाए जाने पर सहायता निरस्त की जा सकती है तथा पूर्व में वितरित राशि की वसूली की जा सकेगी।

2.9.12. एक ही ब्याज भुगतान अवधि के लिए किसी अन्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा अन्य सार्वजनिक योजना से ब्याज प्रतिपूर्ति/ब्याज अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में दोहरा लाभ (Double Benefit) अनुमन्य नहीं होगा।

2.10. EPF/ESI की प्रतिपूर्ति (Reimbursement of Provident Fund (PF)/ Employees' State Insurance (ESI)):-

2.10.1. राज्य सरकार पात्र स्टार्टअप्स द्वारा कर्मचारियों के लिए किए गए नियोक्ता अंशदान (Employer Contribution) की EPF एवं ESI मद में प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी।

2.10.2. यह सहायता स्टार्टअप की स्थापना/व्यवसाय संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से अधिकतम 03 वर्ष की अवधि तक अनुमन्य होगी।

2.10.3. प्रतिपूर्ति केवल उन कर्मचारियों के लिए अनुमन्य होगी जिनका नियोक्ता का अंशदान रू0 21,000 से कम हो।

2.10.4. कर्मचारी स्टार्टअप के नियमित वेतनमान एवं पेरोल पर कार्यरत होना चाहिए तथा

उसका विवरण EPFO/ESIC अभिलेखों में उपलब्ध होना चाहिए।

2.10.5. आवेदन की तिथि पर स्टार्टअप की आयु 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.10.6. पात्र स्टार्टअप निर्धारित प्रारूप में स्टार्टअप पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्न अभिलेख संलग्न करेंगे:

- PF एवं/अथवा ESI पंजीकरण प्रमाण-पत्र;
- संबंधित अवधि की वेतन पंजी (Payroll Records);
- EPFO/ESIC चालान एवं भुगतान रसीदें;
- कर्मचारीवार अंशदान विवरण;
- वेतन रजिस्टर
- कर्मचारी सूची
- नियोजक अंशदान का भुगतान प्रमाण
- बैंक खाते का विवरण;
- स्व-घोषणा पत्र

2.10.7. प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन नोडल संस्था द्वारा तथा आवश्यकतानुसार EPFO/ESIC विभाग से कराया जाएगा।

2.10.8. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण नोडल संस्था द्वारा किया जायेगा तथा पात्र पाये गये मामलों को अनुमोदनार्थ नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

2.10.9. नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) आवेदन का परीक्षण कर उसे अनुमोदित अथवा अननुमोदित किये जाने का निर्णय लेगी तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अभिलेख, सूचना अथवा स्पष्टीकरण मांग सकेगी।

2.10.10. सहायता का संवितरण अधवार्षिक आधार पर, वास्तविक PF/ESI अंशदान जमा किये जाने के प्रमाणों के सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा तथा अनुमोदित सहायता राशि सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

2.10.11. इस प्रोत्साहन का उद्देश्य राज्य में औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना तथा स्टार्टअप्स के मानव संसाधन व्यय का आंशिक समर्थन करना होगा।

2.10.12. **पात्रता मानदंड**

- आवेदक नीति के अंतर्गत एवं DPIIT (स्टार्टअप इंडिया) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होना चाहिए।
- स्टार्टअप का पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में होना चाहिए।
- कर्मचारी का विवरण EPF/ESI पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए।
- नियोक्ता अंशदान का वास्तविक भुगतान किया गया होना चाहिए।
- किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत समान मद हेतु दोहरा लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

सहायता (Support)

आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रश्न, स्पष्टीकरण अथवा शिकायत को स्टार्टअप पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत (Grievance) अनुभाग के माध्यम से आवश्यक विवरणों सहित प्रस्तुत किया

जा सकता है। नोडल संस्था द्वारा प्राप्त प्रश्नों/शिकायतों का परीक्षण कर उनका उत्तर अथवा निस्तारण सामान्यतः 15 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।

4. लाभार्थी स्टार्टअप के दायित्व

प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति के लिए लाभार्थी स्टार्टअप द्वारा स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से अभिलेखों एवं सुझंगत सूचनाओं को नोडल संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

6. प्रोत्साहन/अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड

स्टार्टअप इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि लाभार्थी स्टार्टअप इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें/अभिलेख गलत हैं अथवा तथ्यों को छिपाकर गलत आँकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गई है, तो उपलब्ध कराई गयी धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी। साथ ही सम्बन्धित स्टार्टअप इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी। स्टार्टअप द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं कर पाने की स्थिति में दण्डित धनराशि सम्बन्धित स्टार्टअप से वसूली जायेगी।

7. टिप्पणी:

i. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के प्रावधानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के गठन एवं संचालन प्रारम्भ होने तक "नोडल संस्था" से अभिप्राय उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPLC) होगा।
ii. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियमित नियुक्ति होने तक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPLC) के प्रबंध निदेशक (MD, UPLC) इस नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी/अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
iii. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल के क्रियाशील होने तक, स्टार्टअप पोर्टल से अभिप्राय StartinUP पोर्टल होगा ।
iv. इस परिचालन दिशानिर्देश की किसी भी व्याख्या से संबंधित स्पष्टीकरण, शंका अथवा विवाद की स्थिति में निर्णय लेने एवं आवश्यक स्पष्टता प्रदान करने का अधिकार नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के पास निहित होगा।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 22-08-2026 11:07:48

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तद्दैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3 अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5 प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ।
8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
9 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
10 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(समीर)
विशेष सचिव।